न्यायालय : अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0 2, औरैया ।

CNR No. : UPAU010001732018

उपस्थिति : महेश कुमार (H.J.S.) ; J.O. Code : U.P. 06484

राज्य उत्तर प्रदेश । ...अभियोगी ।

बनाम

(1.) सतेन्द्र कुमार पुत्र रामवीर सिंह उम्र 38 वर्ष पेशा प्राइवेट नौकरी निवासी ग्राम पुर्वा भगत थाना सहायल जिला औरैया ।

(2.) नागेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ योगेन्द्र पुत्र राजेश उम्र 32 वर्ष पेशा मजदूरी निवासी ग्राम पुर्वा भगत थाना सहायल जिला औरैया ।

(3.) श्रीमति सुनीता उर्फ मिली पत्नी राजेश पुत्र श्याम सुन्दर उम्र 35 वर्ष पेशा गृहणी निवासी ग्राम पुर्वा भगत थाना सहायल जिला औरैया ।

...अभियुक्तगण ।

-

सत्र परीक्षण संख्या : 8/2018 ; मु0 अ0 सं0 : 326/2016

धारा : 306 भा0 द0 सं0 ; थाना : बेला ।

जिला : औरैया । -

<u>निर्णय</u>

सत्र परीक्षण संख्या 8/2018 'राज्य बनाम सतेन्द्र कुमार व 2 अन्य' मुकदमा अपराध संख्या 326/2016 धारा 306 भारतीय दंड संहिता थाना बेला जिला औरैया, के अभियोग में अभियुक्तगण (1.) सतेन्द्र कुमार (2.) नागेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ योगेन्द्र व (2.) श्रीमति सुनीता उर्फ मिली का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया गया ।

वादी–मुकदमा राजकिशोर पुत्र रामेश्वर दयाल द्वारा एक हस्तलिखित तहरीर दिनांकित 01–12–2016 थानाध्यक्ष बेला जिला औरैया को प्रस्तुत की गयी, जिसमे यह कथन उल्लिखित किया गया कि "... प्रार्थी राजकिशोर पुत्र रामेश्वर दयाल निवासी ग्राम नगला कंज थाना बेबर जनपद मैनपुरी का रहने वाला हूँ । प्रार्थी के पुत्र जसवन्त सिंह की शादी सुनीता उर्फ मिली पुत्री श्याम सुन्दर निवासी ग्राम पुर्वा भगत थाना सहायल जिला औरैया के साथ लगभग छः वर्ष पूर्व हुई थी । शादी के बाद से सुनीता मेरे घर बुहत कम आती थी । फरवरी 2016 से अपने घर पर थी । मेरा पुत्र जसवन्त सिंह जब भी बुलाने जाता था तो सुनीता उर्फ मिली व उसकी माँ व भाई सचिन उर्फ सीटू, सतेन्द्र पुत्र रामवीर तथा राजेश का लड़का मेरे पुत्र

Digitally signed by MAHESH KUMAR
Date: 2026.04.01 16:36:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

को बेइज़्ज़त करते थे व प्रताड़ित करते थे। दिनाँक 27–11–2016 को मेरा पुत्र पुनः अपनी पत्नी सुनीता को बुलाने गया तो उपरोक्त लोगो ने मेरे पुत्र को इतना बेइज़्ज़त व प्रताड़ित किया तथा सुनीता उर्फ मिली के कुकृत्य को उसने अपनी आंखो से देखा तथा मुझे मोबाइल से बताया। वह अपनी पत्नी के सतेन्द्र व राजेश के लड़के के साथ देखने के कारण वह मानसिक रूप से आहत था। आज दिनाँक 01–12–2016 को उपरोक्त लोगो ने मेरे पुत्र को आत्महत्या के लिये विवश कर दिया। मेरे पुत्र ने आज पुर्वा भगत से आते समय ग्राम भगवन्तापुर के पास मेरे पुत्र ने समय करीब 10:00 बजे नीम के पेड़ पर नाइलॉन की रस्सी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। श्रीमान जी सूचना करने आया हूँ। आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करे।"

वादी–मुकदमा राजकिशोर की इस हस्तलिखित तहरीर के आधार पर थाना बेला जिला औरैया पर दिनाँक 01–12–2016 को अभियुक्तगण (1.) सुनीता उर्फ मिली पत्नी स्वर्गीय जसवन्त सिंह (2.) सुनीता की माँ नाम अज्ञात (3.) सचिन उर्फ शीटू (4.) सतेन्द्र व (5.) राजेश का लड़का नाम अज्ञात, के विरुद्ध धारा 306 भारतीय दंड संहिता के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

विवेचना अधिकारी द्वारा इस अभियोग की विवेचना की गई और वादी–मुकदमा तथा अन्य साक्षीगण के ब्यान अंतर्गत धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता केस डायरी में दर्ज किये गये। घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा–नजरी तैयार किया गया। मृतक जसवन्त सिंह के शव का पंचायतनामा व पोस्टमॉर्टम कराया गया। विवेचना पूर्ण करने के उपरान्त विवेचना अधिकारी द्वारा पहला आरोप–पत्र संख्या 124/17 अभियुक्ता श्रीमति सुनीता उर्फ मिली के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 306 भारतीय दण्ड संहिता न्यायालय प्रेषित किया गया जिसमे अन्त मे यह भी लिखा गया कि अभियुक्तगण सतेन्द्र कुमार व नागेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ योगेन्द्र की गिरफ्तारी शेष है। इसके बाद दूसरा आरोप–पत्र संख्या 124–A/17 अभियुक्तगण सतेन्द्र कुमार व नागेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ योगेन्द्र के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 306 भारतीय दण्ड संहिता न्यायालय मे प्रेषित किया गया जिन पर सम्बन्धित मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया।

सिविल जज (सीनियर डिविजन)/FTC औरैया न्यायालय द्वारा दिनाँक 02–01–2018 को तीनो अभियुक्तगण का यह मुकदमा सत्र न्यायालय सुपुर्द किए जाने का आदेश पारित किया गया तत्पश्चात इस मुकदमे का विचारण सत्र न्यायालय में आरंभ हुआ।

सत्र न्यायालय औरैया द्वारा दिनाँक 31–01–2018 को अभियुक्तगण (1.) सतेन्द्र कुमार, (2.) नागेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ योगेन्द्र व (3.) श्रीमति सुनीता उर्फ मिली के विरुद्ध धारा 306 भारतीय दंड संहिता का आरोप विरचित किया गया। उक्त आरोप से अभियुक्तगण ने इनकार किया और विचारण की मांग की।

अभियोजन की ओर से इस मुकदमे में निम्न साक्षीगण को न्यायालय में पेश व परीक्षित कराया गया :– (1.) pw1 राजकिशोर पुत्र रामेश्वर (2.) pw2 रामप्रकाश पुत्र बनवारी लाल (3.) pw3 डॉक्टर मनोज कुमार (4.) pw4 रामकृपाल पुत्र रामेश्वर सिंह (5.) हेड कॉन्स्टेबल 206 विश्वनाथ सिंह व (6.) उपनिरीक्षक ओमप्रकाश बघेल।

दिनाँक 25–02–2026 को अभियुक्तगण (1.) नागेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ योगेन्द्र व (2.) श्रीमति सुनीता उर्फ मिली के ब्यान अंतर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता न्यायालय में लेखबद्ध किए गए और

उसके बाद दिनाँक 10–03–2026 को अभियुक्त सतेन्द्र कुमार के ब्यान अन्तर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता न्यायालय मे लेखबद्ध किये गये । अभियुक्तगण (1.) सतेन्द्र कुमार, (2.) नागेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ योगेन्द्र व (3.) श्रीमति सुनीता उर्फ मिली ने अपने–अपने ब्यान अन्तर्गत धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता मे कथित अपराध कारित करने से इनकार किया और अभियोजन की ओर से पेश किए गए साक्षीगण की गवाही के सम्बन्ध मे यह कहा कि वादी–मुकदमा राजकिशोर ने सही ब्यान दिया और दूसरे साक्षी रामप्रकाश ने सही सूचना दी । चिकित्सक व पुलिस साक्षीगण की गवाही को गलत बताया तथा अपने पक्ष मे सफाई–साक्ष्य देने से इनकार किया और स्वयं को निर्दोष बताया । चूंकि तीनो अभियुक्तगण ने अपने पक्ष मे सफाई–साक्ष्य देने से भी इनकार किया जिस कारण न्यायालय द्वारा उक्त अवसर समाप्त किया गया ।

अभियोजन की ओर से इस मुकदमे मे निम्न अभिलेखीय दस्तावेजो को साक्ष्य से साबित कराया गया :–

(1) प्रदर्श क–1 वादी–मुकदमा राजकिशोर की हस्तलिखित तहरीर ।

(2.) प्रदर्श क–2 मृतक जसवन्त सिंह की लाश से बरामद सामान–सूची दिनाँकित 01–12–2016 जो उसके पिता को सौंपी गयी ।

(3.) प्रदर्श क–3 मृतक जसवन्त सिंह के शव का पंचायतनामा ।

(4.) प्रदर्श क–4 साक्षी pw2 रामप्रकाश (चौकीदार) द्वारा मृतक जसवन्त सिंह की पेड़ से लटकी हुई लाश की सूचनार्थ थानाध्यक्ष बेला को प्रेषित प्रार्थना–पत्र दिनाँकित 01–12–2016 की छायाप्रति ।

(5.) प्रदर्श क–5 मृतक जसवन्त सिंह के शव की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ।

(6.) प्रदर्श क–6 प्रथम सूचना रिपोर्ट (F.I.R.)

(7.) प्रदर्श क–7 मुकदमा GD कायमी ।

(8.) प्रदर्श क–8 अभियुक्तगण सतेन्द्र व नागेंद्र के विरद्ध न्यायालय प्रेषित आरोप–पत्र संख्या 124(A)/17

(9.) टेंडर प्रदर्श–9 सुसाइड नोट की F.S.L. रिपोर्ट ।

इसके अलावा कागज संख्या 3 क अभियुक्ता श्रीमति सुनीता उर्फ मिली के विरुद्ध न्यायालय प्रेषित आरोप–पत्र संख्या 124/17 साबित नही हुआ है जिस पर प्रदर्श नही पड़ा है । कागज संख्या 11 क/1 फर्द कब्जा पुलिस सुसाइड नोट साबित नही हुआ है जिस पर प्रदर्श नही पड़ा है । कागज संख्या 11 क/2 फर्द कब्जा पुलिस रस्सी साबित नही हुआ है जिस पर प्रदर्श नही पड़ा है । कागज संख्या 8 क घटनास्थल का नक्शा–नजरी साबित नही हुआ जिस पर प्रदर्श नही पड़ा है । इसी प्रकार चिट्ठी R.I. चिट्ठी C.M.O., फोटोनाश, इत्यादि प्रपत्र भी साबित नही हुए है जिन पर प्रदर्श नही पड़े है ।

अभियुक्तगण (1.) सतेन्द्र कुमार, (2.) नागेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ योगेन्द्र व (3.) श्रीमति सुनीता उर्फ मिली पर मृतक जसवन्त सिंह को आत्महत्या करने के लिये विवश करने का आरोप है जिसके परिणाम–स्वरूप मृतक जसवन्त सिंह द्वारा आत्महत्या किया जाना बताया गया है ।

इस न्यायालय को अब यह देखना है कि अभियोजन साक्ष्य से क्या अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध

विरचित आरोप संदेह से परे साबित होता है अथवा नही ?

न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की अंतिम बहस विस्तार से सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का विवेचन व विश्लेषण किया गया ।

अभियोजन साक्षी pw1 राजकिशोर पुत्र रामेश्वर ने अपनी मुख्य परीक्षा के ब्यान में शपथ पूर्वक कथन किया कि "...मेरे पुत्र जसवंत सिंह की शादी सुनीता उर्फ मिली पुत्र श्याम सुंदर निवासी ग्राम पुर्वा भगत थाना सहायल जिला औरैया के साथ आज से लगभग 12 वर्ष पूर्व हुई थी । शादी के बाद से सुनीता मेरे घर पर आती–जाती रही । फरवरी सन् 2016 में मेरी पुत्रवधू सुनीता मायके में थी । मेरा पुत्र जसवंत सिंह जब भी सुनीता उर्फ मिली की विदा कराने जाता था तो ससुरालीजन उसकी विदा कर देते थे । दिनाँक 27–11–2016 को मेरा पुत्र अपनी पत्नी सुनीता को ससुराल से लिवाने गया था तो मेरे पुत्र को उसके ससुराली – जन सास व साले सचिन उर्फ सीटू व सतेन्द्र तथा राजेश के लड़के नागेन्द्र प्रताप उर्फ योगेन्द्र सिंह ने बेइज्जत व प्रताड़ित नही किया था । सुनीता उर्फ मिली के कुकृत्य को भी मेरे पुत्र जसवन्त सिंह ने नही देखा था न ही मोबाइल से बताया था और न ही उसने अपनी पत्नी को सतेन्द्र व राजेश के लड़के के साथ देखने के कारण मानसिक रूप से आहत हुआ था और न ही मेरी जनाकरी में मेरे पुत्र को उसके ससुरालीजन उपरोक्त ने आत्महत्या के लिये विवश किया था । मेरे पुत्र जसवन्त सिंह ने ग्राम भगवन्तापुर के पास नीम के पेड़ पर लटक कर फांसी लगा ली थी जिसकी सूचना पुलिस ने दी थी । पुलिस की सूचना पर मैं थाना बेला पहुंचा । थाने से पता चला कि मेरा पुत्र अस्पताल भेज दिया था । सहार गया था । वहां मेरा पुत्र मृतक हालत में मिला था । घटना की रिपोर्ट मैंने राहुल पुत्र विजय बहादुर निवासी असालत नगर थाना छिबरामऊ जिला कन्नौज से बोल–बोल कर लिखायी थी । मैंने राहुल को सुनीता उर्फ मिली व उसकी माँ प्रेमा देवी व सचिन उर्फ सीटू व सतेन्द्र व राजेश के लड़के नागेन्द्र प्रताप के नाम नही बोले थे । राहुल ने मुझे प्रार्थना–पत्र पढ़ कर नही सुनाया था । मैंने हस्ताक्षर बनाये थे । पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 4 क/5 गवाह को दिखाया गया तो गवाह ने मात्र अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया ।"

अभियोजन साक्षी pw2 रामप्रकाश पुत्र बनवारी लाल ने अपनी मुख्य परीक्षा के ब्यान में शपथ पूर्वक कथन किया कि "...मैं ग्राम भगवन्तापुर का चौकीदार हूँ । दिनाँक 01–12–2016 को समय करीब 11:00 बजे दिन मैं अपने गांव से बिधूना की तरफ सड़क से जा रहा था । सड़क के उत्तर तरफ मेरे गांव के बहादुर पुत्र रुस्तम के खेत की मेड़ पर खड़े नीम के पेड़ पर एक व्यक्ति ने रस्सी से फांसी लगा ली थी । वह व्यक्तिं लटक रहा था । वहां पर आसपास के काफी लोग मौजूद थे लेकिन फांसी पर लटके व्यक्ति को कोई पहचान नही पा रहा था । पास में ही सड़क पर एक मोटरसाइकिल डिस्कवर खड़ी थी तथा उसका हेलमेट व झोला पड़ा हुआ था । मैंने चौकीदार होने के नाते फांसी पर लटके व्यक्ति अज्ञात के संबंध में एक प्रार्थना –पत्र अज्ञात व्यक्ति से लिखवा कर उस पर अपना अंगूठा–निशान लगाकर थाने में पुलिस को दिया था । यह पत्रावली में मौजूद प्रार्थना–पत्र 12क/6 छायाप्रति के रूप में संलग्न है । इस पर मेरे हस्ताक्षर है जिसकी मैं पहचान व पुष्टि करता हूँ । इस पर **प्रदर्श क–4** कर डाला गया ।"

अभियोजन साक्षी pw3 डॉक्टर मनोज कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा के ब्यान में शपथ पूर्वक कथन

किया कि "...मैं दिनाँक 02–12–2016 को CHC अयाना जनपद औरैया में चिकित्साधिकारी के पद पर तैनात था। उसी दिनाँक को मैंने मृतक जसवन्त सिंह पुत्र राजकिशोर निवासी नगला कंज थाना बेवर जिला मैनपुरी उम्र 27 वर्ष जिसको कॉन्स्टेबल 426 रामप्रकाश व कॉन्स्टेबल 96 उमेश बघेल थाना बेला, मेरे पास पोस्टमॉर्टम कराने हेतु सील बन्द शव लेकर आये थे। मैंने दिनाँक 02–12–2016 को 10:30 a.m. पर पोस्टमॉर्टम प्रारम्भ किया था तथा उस दिनाँक को ही 11:00 a.m. पर समाप्त किया था। मृतक के शरीर पर कुल बारह आइटम जिनमे जेकेट, शर्ट, स्वेटर, पेन्ट, मौजे, बेल्ट, अण्डरवियर, फुल बनियान, सेन्डो बनियान, काला धागा, मफलर, पेन मौजूद थे जिनको मैंने सील सर्वमुहर कर साथ आये पुलिस वालो को प्राप्त करा दिया था। मृतक की ऊंचाई 161 सेन्टीमीटर, कद सामान्य कद–काठी का था। मृतक के हाथ व पैर में अकड़न मौजूद थी। पोस्टमॉर्टम स्टेनिंग डिपेन्डेण्ट पार्ट पर मौजूद थे। आंखे अधखुली थी। मृतक के प्राकृतिक छिद्र, खोपड़ी तथा मुंह larynx, necetissues, थाइरॉइड, ट्रेकिया, पसलियां, भोजन नली, pleuralcavities, pericardial sac(sac), large blood vessels a abdominal wall, pancreas, pelvic cavity tissue, pelvig bones, genital organs N.A.D. थे तथा meninges cerebral vessels, Brain, lungs, kidney Congested थे। आमाशय मे लगभग 100 ग्राम पेस्टी फूड मौजूद था। छोटी आंत में पचा हुआ भोजन व गैस मौजूद थी। बड़ी आंत में Fecal matter व गैस मौजूद थी। हृदय के दोनो चैम्बर फुल थे। Spinal cord खोला नही गया। मृतक के शरीर पर गले के आगे एवं ठुड्डी के नीचे व thyroied cartilage के ऊपर एक 23 सेन्टीमीटर का लिगेचर मार्क मौजूद था जो ब्राऊन कलर का था। Hard and parchment, subcutanous tissu, under neath ligature mark is white hard and glistening उनके अतिरिक्त अन्य कोई चोट के निशान नही पाये गये। मृत्यु का कारण – मृत्यु के पूर्व लगी हुई Enjury (hainging), Asphaxis (Asphascia). मृतक जसवन्त सिंह की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट अपने हस्तलेख व हस्ताक्षर में तैयार की थी। वह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 13 क/1 लगायत 13 क/11 के रूप मे आज मेरे सामने है जो मेरे हस्तलेख व हस्ताक्षर में है जिसकी मैं पहचान व पुष्टि करता हूँ जिस पर **प्रदर्श क–5** डाला गया। मृतक की मृत्यु का सम्भावित समय एक दिन पूर्व का था। मृतक जसवन्त सिंह के शव को लाने वाले कॉन्स्टेबल शव के साथ नो प्रपत्र पंचायतनामा 12 क/2 लगायत 12 क/4, GD 12 क/5, तहरीरी प्रार्थना–पत्र 12 क/6 तथा फॉर्म शव–विच्छेदन हेतु 12 क/7 तथा फोटोनाश 12 क/8 तथा चिट्ठी RI 12 क/1 व चिट्ठी CMO 12 क/1 के रूप में संलग्न है जिन पर मैंने अपने सूक्ष्म हस्ताक्षर बनाये थे। मैं अपने सूक्ष्म हस्ताक्षरो की पहचान व पुष्टि करता हूँ।"

अभियोजन साक्षी pw4 रामकृपाल ने अपनी मुख्य परीक्षा के ब्यान मे शपथ पूर्वक कथन किया कि "...इस मुकदमे के मृतक जसवन्त सिंह मेरा भतीजा लगता था। उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। सूचना पर मैं थाना बेला जिला औरैया गया था। मृतक का पंचायतनामा घटनास्थल पर भरा गया था। पंचायतनामा पर पंचायतनामा भरने वाले पुलिस ने मेरे हस्ताक्षर कराये थे तथा मुझसे पूछताछ भी की थी। पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 12 क/2 लगायत 12 क/4 साक्षी को दिखाया गया तो साक्षी ने उस पर बने अपने हस्ताक्षर की पहचान की जिस पर पूर्व में **प्रदर्श क–3** डाला जा चुका है।"

अभियोजन साक्षी pw5 हेड कॉन्स्टेबल 206 विश्वनाथ सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा के ब्यान मे शपथ पूर्वक कथन किया कि "...मैं दिनाँक 01–12–2016 को थाना बेला जनपद औरैया पर थाना कार्यालय में कार्यलेख पर तैनात था । उसी दिनाँक को वादी–मुकदमा राजकिशोर पुत्र रामेश्वर दयाल द्वारा एक तहरीरी प्रार्थना पत्र मेरे समक्ष प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करने हेतु प्रस्तुत किया था । मैंने उस तहरीरी प्रार्थना पत्र पर SO महोदय के मौखिक आदेश पर तहरीरी प्रार्थना पत्र को कम्प्यूटर से शब्द व शब्द टाइप कर प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कर मुकदमा अपराध संख्या 326/2016 बनाम सुनीता उर्फ मिली व अन्य 4', के विरुद्ध अंतर्गत धारा 306 भारतीय दण्ड संहिता में कायम किया था । मेरे द्वारा कम्प्यूटरीकृत वह प्रथम सूचना रिपोर्ट कागज संख्या 4 क/1 लगायत 4 क/4 के रुप में आज मेरे सामने है जो मेरे द्वारा कम्प्यूटरीकृत है जिस पर तत्कालीन SHO महोदय के हस्ताक्षर है जिसकी पहचान पुष्टि करता हूँ जिस पर **प्रदर्श क–6** डाला गया । इस प्रकरण का खुलासा मैने GD की रपट नम्बर 39 समय 18:30 बजे दिनाँक 01–12–2016 को कम्प्यूटर द्वारा टाइप कर किया था । मेरे द्वारा कम्प्यूटरीकृत कायमी GD पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 7 क/1 के रूप में आज मेरे सामने है जिसको प्रमाणित कर पहचान पुष्टि करता हूँ जिस पर **प्रदर्श क–7** डाला गया । विवेचनाधिकारी महोदय ने मेरा ब्यान लिया था ।"

अभियोजन साक्षी pw6 उपनिरीक्षक ओमप्रकाश बघेल ने अपनी मुख्य परीक्षा के ब्यान में शपथ पूर्वक कथन किया कि "...मैं दिनाँक 08–07–2017 को थाना बेला जनपद औरैया के पद पर उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था । उसी दिनाँक को मैंने थाना बेला जनपद औरैया पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 126/2016 बनाम सुनीता उर्फ मिली आदि', अन्तर्गत 306 भारतीय दण्ड संहिता की विवेचना ग्रहण कर दिनाँक 09–09–2017 तक की थी तथा मैंने विवेचना के क्रम में मैंने S.C.D. का पर्चा 1 लगायत S.C.D. के पर्चा 8 तक किता करके शेष विवेचना को पूर्ण किया था तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश लखनऊ की रिपोर्ट के सम्बन्ध में S.C.D. का पर्चा 9 दिनाँक 07–04–2018 को किता किया था तथा F.S.L. रिपोर्ट व उसके साथ प्राप्त सील सर्व मोहर कॉपी को S.C.D 9 के साथ संलग्न पत्रावली किया था । मैंने अपनी विवेचना के क्रम में S.C.D. 1 लगायत S.C.D. 2 में विवेचना ग्रहण सम्बन्धी विवरण व पूर्व विवेचको द्वारा की गई विवेचना व उनके द्वारा किता किये गए C.D. के पर्चा 1 लगायत C.D. के पर्चा 18 तक अंकित किया था । S.C.D. के पर्चा 3 लगायत S.C.D. के पर्चा 5 तक में मैंने शेष अभियुक्तगण की तलाश व दबिश का विवरण तथा जो F.S.L. को माल भेजा गया था, उसकी दाखिला रसीद का विवरण अंकित किया था । S.C.D. 6 लगायत S.C.D. 7 में मैंने अभियुक्तगण सतेन्द्र कुमार व नागेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ योगेन्द्र के न्यायालय श्रीमान के सम्बन्ध में प्राप्त पर्चा हाजिरी का अवलोकन अंकित कर संलग्न S.C.D. किया था तथा उपरोक्त दोनो अभियुक्तगण सतेन्द्र कुमार व नागेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ योगेन्द्र के ब्यान अंकित किये थे । S.C.D. के पर्चा 8 में मैंने अभियुक्तगण सतेन्द्र कुमार पुत्र रामवीर सिंह व नागेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ योगेन्द्र पुत्र राजेश निवासीगण ग्राम पुर्वा भगत थाना सहायल जिला औरैया के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर व पूर्व विवेचको द्वारा की गयी विवेचना के उपरान्त मैंने आरोप–पत्र संख्या 124A/17 अन्तर्गत धारा 306 भारतीय दण्ड संहिता न्यायालय श्रीमान में प्रेषित किया था तथा मृतक के सुसाइड नोट व मृतक की डायरी के हस्तलेख के मिलान के सम्बन्ध में नतीजे के इन्तजार के सम्बन्ध में भी लिखा था । मेरे द्वारा प्रेषित

आरोप–पत्र पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 3क/1 के रूप में आज मेरे सामने है जो मेरे हस्तलेख हस्ताक्षर में है जो आज मेरे सामने है जिस पर **प्रदर्श क–8** डाला गया । इसके उपरान्त मैंने विधि विज्ञान प्रयोगशाला की F.S.L. रिपोर्ट जो थाना हाजा पर प्राप्त हुई थी, के सम्बन्ध में S.C.D. के पर्चा 9 दिनाँक 07–04–2018 में किता किया था जिसमे F.S.L. रिपोर्ट का अवलोकन अंकित कर उसे S.C.D. 9 के साथ संलग्न कर तथा मृतक का सुसाइड नोट व उसकी हस्तलेख की डायरी का सील बन्द लिफाफा जो F.S.L. रिपोर्ट के साथ संलग्न होकर थाना हाजा पर दाखिल हुआ था, को भी संलग्न कर सम्मिलित पत्रावली किया था । F.S.L. रिपोर्ट के अवलोकन में मैंने पाया था कि मृतक जसवन्त सिंह की डायरी व सुसाइड नोट का लेख एक समान है । वह F.S.L. रिपोर्ट पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 16 क/1 के रूप में आज मेरे सामने है जिसकी में पहचान पुष्टि करता हूँ जिस पर **टेण्डर प्रदर्श–9** डाला गया तथा F.S.L. रिपोर्ट के साथ जो सील सर्व मोहर लिफाफा जिस पर पत्रांक 259– DOC–17 अंकित है, वह पत्रावली पर मौजूद कागज संख्या 15क के रूप में आज मेरे सामने है जिसको मैंने ही अपने S.C.D. 9 के साथ पत्रावली में दाखिल किया था जिसकी में पहचान पुष्टि करता हूँ ।"

न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण सतेन्द्र कुमार व नागेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ योगेन्द्र के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियुक्ता श्रीमति सुनीता उर्फ मिली के विद्वान अधिवक्ता एवं अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की अंतिम बहस सुनी गयी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का गहनता से विवेचन एवं विश्लेषण किया गया ।

इस मुकदमे के न्याय–निर्णयन हेतु न्यायालय द्वारा अग्रलिखित विचारणीय बिन्दु (Points of Determination) बनाये जाते है जिनका निस्तारण उपलब्ध सम्बन्धित साक्ष्य का विवेचन (discussion) व विश्लेषण (Analysis) करते हुए किया जायेगा ।

[1.] क्या अभियोजन की ओर से पेश हुए तथ्य के साक्षीगण के साक्ष्य से मृतक जसवन्त सिंह को आत्महत्या करने के लिये अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा विवश किये जाने का कथन, सन्देह से परे साबित होता है ?

[2.] क्या मृतक जसवन्त सिंह का कथित सुसाइड नोट अभियोजन साक्ष्य से युक्तियुक्त रूप से सन्देह से परे साबित होता है ?

[3.] क्या घटनास्थल से नायलॉन की रस्सी की नियमानुसार व विधिवत् बरामदगी साबित होती है ?

इन तीनो विचारणीय बिन्दुओ का विवेचन (discussion) निम्न प्रकार है :–

[1.] क्या अभियोजन की ओर से पेश हुए तथ्य के साक्षीगण के साक्ष्य से मृतक जसवन्त सिंह को आत्महत्या करने के लिये अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा विवश किये जाने का कथन, सन्देह से परे साबित होता है ?

अभियुक्तगण सतेन्द्र कुमार और नागेंद्र प्रताप सिंह उर्फ योगेंद्र के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियुक्ता श्रीमति सुनीता उर्फ मिली के विद्वान अधिवक्ता की ओर से पहला तर्क यह प्रस्तुत किया गया कि अभियोजन की ओर से इस मुकदमे में तथ्य के तीन साक्षीगण न्यायालय में पेश किए गए है जिन्होंने अपने साक्ष्य में ऐसा कोई कथन नही किया जिससे यह साबित होता हो कि इन अभियुक्तगण ने मृतक जसवंत सिंह को

आत्महत्या करने के लिए विवश कर दिया हो और मृतक जसवंत सिंह के पास आत्महत्या करने के अलावा अन्य और कोई विकल्प न बचा हो बल्कि वादी–मुकदमा pw1 राजकिशोर ने अपनी मुख्य परीक्षा के ब्यान में अभियोजन कथानक का समर्थन नही किया है जिस कारण अभियोजन के निवेदन पर न्यायालय द्वारा इस साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया । तथ्य का दूसरा साक्षी pw2 रामप्रकाश गांव भगवंतापुर का चौकीदार है जिसने पेड़ से लटकी हुई लाश की सूचना थाना पुलिस को दी है । इसके अलावा इस साक्षी को अन्य और कोई जानकारी नही है । तथ्य का तीसरा साक्षी pw4 रामकृपाल है जो मृतक जसवंत सिंह का चाचा लगता था । इस साक्षी ने मृतक जसवंत सिंह के शव के पंचायतनामा के संबंध में गवाही दी है क्योंकि यह साक्षी उक्त पंचायतनामा का गवाह है । इसके अलावा अभियोजन की ओर से तथ्य का अन्य और कोई साक्षी पेश नही किया गया ।

अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अभियुक्तगण के इस तर्क का खंडन करते हुए यह कथन किया गया कि अभियोजन की ओर से तथ्य के तीन साक्षीगण वादी–मुकदमा pw1 राज्य किशोर, pw2 रामप्रकाश और pw4 रामकृपाल ने अपने–अपने ब्यान से यह साबित किया है कि अभियुक्तगण सतेन्द्र कुमार और नागेंद्र प्रताप सिंह उर्फ योगेंद्र तथा के श्रीमति सुनीता उर्फ मिली द्वारा मृतक जसवंत सिंह को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया था क्योंकि मृतक जसवंत सिंह की पत्नी अभियुक्ता श्रीमति सुनीता उर्फ मिली के अवैध संबंध अभियुक्त सतेन्द्र सिंह और नागेंद्र प्रताप सिंह उर्फ योगेंद्र से थे और मृतक जसवंत सिंह ने अपने जीवन काल में यह सब देख लिया था और अपने पिता वादी–मुकदमा राजकिशोर को भी बताया था जिस कारण वह तनाव में रहने लगा था और अत्यधिक तनाव ना सहने के दबाव में उसने नीम के पेड़ पर नायलॉन की रस्सी से लटक कर आत्महत्या कर ली और एक सुसाइड नोट भी लिखकर छोड़ा जो पुलिस मौके से बरामद भी किया गया ।

इस विचारणीय बिंदु के संदर्भ में पत्रावली पर जो साक्ष्य उपलब्ध है वह वादी–मुकदमा राजकिशोर की तहरीर और तथ्य के साक्षीगण pw1 राजकिशोर pw2 रामप्रकाश और pw4 रामकृपाल की गवाही है जिनका विवेचन एवं विश्लेषण किया जाना आवश्यक होगा ।

इस मुकदमे की तहरीर वादी–मुकदमा राजकिशोर पुत्र रामेश्वर दयाल द्वारा थाना बेला पर दी गई । वादी–मुकदमा राजकिशोर मृतक जसवंत सिंह का पिता है । राजकिशोर ने अपनी दी गई तहरीर में मृतक जसवंत सिंह की आत्महत्या का कारण यह लिखा है कि अभियुक्तगण (1.) सतेन्द्र कुमार (2.) नागेंद्र प्रताप सिंह उर्फ योगेंद्र, मृतक जसवंत सिंह को प्रताड़ित करते थे और बेइज्ज़त करते थे । मृतक जसवंत सिंह की पत्नी सुनीता उर्फ मिली है जो इस मुकदमे में अभियुक्ता है । इस तहरीर में राजकिशोर ने यह भी लिखा है कि दिनांक 27–11–2016 को जब जसवंत सिंह अपनी पत्नी सुनीता को बुलाने अपनी ससुराल गया तो वहां पर इन अभियुक्तगणो ने जसवंत सिंह को बेइज्ज़त किया और प्रताड़ित किया और जसवंत सिंह ने अपनी आंखो से सुनीता उर्फ मिली के कुकृत्य को देखा था और राजकिशोर को मोबाइल से जसवंत सिंह ने अपनी पत्नी सुनीता उर्फ मिली के सतेन्द्र व राजेश के लड़के के साथ देखने वाली बात बतायी थी और इसी कारण वह मानसिक रूप से आहत था जिस कारण दिनांक 01–12–2016 को जसवंत सिंह ने दिन के करीब 10:00 बजे नीम के पेड़ पर नायलॉन की रस्सी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली । इस तरह से वादी–

मुकदमा राजकिशोर ने अपनी इस लिखित तहरीर में अभियुक्तगण (1.) सतेन्द्र कुमार (2.) नागेंद्र प्रताप सिंह उर्फ योगेंद्र द्वारा अपने पुत्र जसवंत सिंह को बेइज्ज़त करने और प्रताड़ित करने का कथन किया है और जसवंत सिंह की पत्नी सुनीता उर्फ मिली के सतेन्द्र और राजेश के लड़के से गलत संबंध के विषय में भी कहा है जिसे अपनी आंखो से देखने के कारण जसवंत सिंह को मानसिक रूप से आहत हो जाना भी कहा है परंतु जब इस साक्षी को न्यायालय में गवाही के लिए बुलाया गया तो इस साक्षी ने pw1 के रूप में न्यायालय में अपने ब्यान दर्ज कराये और अपनी मुख्य परीक्षा के ब्यान में ही अभियोजन कथानक का समर्थन नही किया। इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा के ब्यान में यह कहा कि "...फरवरी सन् 2016 में मेरी पुत्रवधू सुनीता मायके में थी। मेरा पुत्र जसवंत सिंह जब भी सुनीता उर्फ मिली की विदा कराने जाता था तो ससुरालीजन उसकी विदा कर देते थे। दिनांक 27–11–2016 को मेरा पुत्र अपनी सुनीता को ससुराल से लिवाने गया था तो मेरे पुत्र को उसके ससुरालीजन सास और साले सचिन उर्फ सीटू व सतेन्द्र तथा राजेश के लड़के नागेंद्र प्रताप उर्फ योगेंद्र सिंह ने बेइज्ज़त व प्रताड़ित नही किया था। सुनीता उर्फ मिली के कुकृत्य को भी मेरे पुत्र जसवंत सिंह ने नही देखा था न ही मोबाइल से बताया था और न ही जसवन्त अपनी पत्नी को सतेन्द्र व राजेश के लड़के के साथ देखने के कारण मानसिक रूप से आहत हुआ था और न ही मेरी जानकारी में मेरे पुत्र को उसके ससुरालीजन उपरोक्त ने आत्महत्या के लिए विवश किया था।" इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा के ब्यान में आगे यह भी कहा कि "...इस घटना की रिपोर्ट राहुल पुत्र विजय बहादुर से लिखवायी थी परंतु मैंने अभियुक्तगण के नाम राहुल को नही बोले थे और राहुल ने मुझे प्रार्थना–पत्र पढ़कर नही सुनाया था। मैंने हस्ताक्षर बना दिए थे।"

इस तरह से यह साक्षी जो स्वयं वादी–मुकदमा है, ने अपनी मुख्य परीक्षा के ब्यान में अभियोजन कथानक का समर्थन नही किया और अपनी तहरीर में उल्लिखित कथनो के विपरीत ब्यान दिए जिस कारण इस साक्षी को अभियोजन के निवेदन पर न्यायालय द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया। तत्पश्चात इस साक्षी से प्रति– परीक्षा करने हेतु अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा न्यायालय से अनुमति ली गई जो न्यायालय द्वारा प्रदान की गई। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जब इस साक्षी से प्रति–परीक्षा की गई और इस साक्षी द्वारा विवेचना के दौरान जो ब्यान विवेचना अधिकारी को दिए गए थे वह ब्यान पढ़कर सुनाए गए और इस बारे में पूछा गया तो इस साक्षी ने यह कहा कि "...ऐसा कोई ब्यान मैंने विवेचनाधिकारी को नही दिया था। विवेचना अधिकारी ने कैसे लिख दिया, मैं इसकी वजह नही बता सकता हूं।'

इस साक्षी से अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रति–परीक्षा की गई तो इस साक्षी ने इस संबंध में यह कहा कि "...सतेन्द्र व नागेंद्र प्रताप सिंह, सुनीता के सगे भतीजे लगते है। इन लोगो के बारे में मेरे लड़के ने कभी नही बताया कि मुझे प्रताड़ित करते है। मुझे सतेन्द्र की शादी का कार्ड मिला था। उसी में मेरा लड़का 27–11–2016 को घर से अपनी ससुराल गया था तथा दिनांक 28–11–2016 को तिलक में शामिल हुआ था। उसके बाद मेरे पुत्र का कोई फोन नही आया। सतेन्द्र व नागेंद्र प्रताप सिंह द्वारा गलत संबंधो के संबंध में कभी कोई सूचना नही दी। जसवंत सिंह बेरोजगार व्यक्ति था। इस वजह से वह दिमागी उलझन में रहता था। इसी उलझन में एक बार घर में आत्महत्या का प्रयास किया था।"

इस तरह से इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा व प्रति–परीक्षा के ब्यान में साफ तौर से अभियुक्तगण (1.) सतेन्द्र कुमार (2.) नागेंद्र प्रताप सिंह उर्फ योगेंद्र व (3.) श्रीमति सुनीता उर्फ मिली द्वारा जसवंत सिंह को प्रताड़ित करने व बेइज्ज़त करने तथा आत्महत्या के लिए विवश करने से इनकार किया और जसवंत सिंह द्वारा आत्महत्या किए जाने का कारण यह बताया कि वह बेरोजगार हो गया था और दिमागी उलझन में रहता था और इसी उलझन के कारण उसने एक बार पहले भी आत्महत्या करने का प्रयास किया था । इस साक्षी ने यह भी कहा कि जसवंत सिंह ने इस साक्षी को फोन करके अपनी पत्नी सुनीता उर्फ मिली के सतेन्द्र व नागेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ योगेन्द्र से कभी कोई गलत संबंध वाली बात नही बतायी थी ।

अभियोजन की ओर से तथ्य के दूसरे साक्षी के रूप में pw2 रामप्रकाश पुत्र बनवारी लाल को न्यायालय में पेश व परीक्षित कराया गया । यह साक्षी ग्राम भगवंतापुर का चौकीदार है जहां पर मृतक जसवंत सिंह की लाश नीम के पेड़ पर लटकती हुई मिली थी । इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा के ब्यान में मात्र इतना कहा है कि इस साक्षी ने जब मृतक की लाश पेड़ पर लटकी हुई देखी तो इसकी सूचना थाना पुलिस को दी थी । अपनी प्रति–परीक्षा के ब्यान में भी इस साक्षी ने अपने इस प्रार्थना–पत्र के संबंध में ही ब्यान दिए है । मृतक जसवंत सिंह से इस साक्षी का कोई रिश्ता– नाता नही था जिस कारण इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा के ब्यान में तथा प्रति–परीक्षा के ब्यान में मृतक जसवंत सिंह की आत्महत्या करने के कारण के संबंध तथा अभियुक्तगण द्वारा उसे आत्महत्या करने के लिये विवश किये जाने के सम्बन्ध में कोई कथन नही किया है ।

अभियोजन की ओर से तथ्य के तीसरे साक्षी के रूप में pw4 रामकृपाल पुत्र रामेश्वर सिंह को न्यायालय में पेश व परीक्षित कराया गया । यह साक्षी मृतक जसवंत सिंह का चाचा लगता है । यह साक्षी मृतक जसवन्त सिंह के शव के पंचायतनामा का गवाह है । इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा के ब्यान में केवल इतना कहा है कि मृतक जसवंत सिंह के शव का पंचायतनामा इस साक्षी के समक्ष हुआ था जिस पर इस साक्षी ने अपने हस्ताक्षर किए थे और इसी संबंध में प्रति–परीक्षा के ब्यान में बताया है । इस तरह से यह साक्षी केवल उक्त पंचायतनामा का गवाह है जिसने अपने उपरोक्त ब्यान में मृतक जसवंत सिंह की आत्महत्या करने के कारण अथवा अभियुक्तगण द्वारा जसवंत सिंह को आत्महत्या करने के लिए विवश किये जाने के संबंध में कोई कथन नही किया है ।

उपरोक्त साक्ष्य–परिचर्चा, विवेचन व विश्लेषण से यह साबित नही होता है कि अभियुक्तगण (1.) सतेन्द्र कुमार (2.) नागेंद्र प्रताप सिंह उर्फ योगेंद्र व (3.) श्रीमति सुनीता उर्फ मिली द्वारा मृतक जसवंत सिंह को उसके जीवन काल में बेइज्ज़त व प्रताड़ित किया गया हो और मृतक जसवन्त सिंह ने जीवित रहते हुए अपनी पत्नी सुनीता उर्फ मिली को अन्य अभियुक्तगण सतेन्द्र कुमार व नागेंद्र प्रताप सिंह उर्फ योगेंद्र के साथ गलत सम्बन्ध मे व आपत्तिजनक हालत मे देखा हो और उक्त गलत संबंध देखने से वह आहत हो गया हो और न ही यह साबित होता है कि मृतक जसवंत सिंह ने अपने जीवन काल में अपने पिता वादी–मुकदमा राजकिशोर को इस संबंध में व्यक्तिगत रूप से अथवा फोन पर बाते बतायी हो । इस प्रकार अभियोजन की ओर से पेश हुए तथ्य के उपरोक्त तीनो साक्षीगण के साक्ष्य से अभियुक्तगण (1.) सतेन्द्र कुमार (2.) नागेंद्र प्रताप सिंह उर्फ योगेंद्र व (3.) श्रीमति सुनीता उर्फ मिली द्वारा मृतक जसवंत सिंह को आत्महत्या करने के

लिए विवश किये जाने का कथन साबित नही होता है ।

अतः अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत किया गया यह पहला तर्क न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाता है ।

[2.] क्या मृतक जसवन्त सिंह का कथित सुसाइड नोट अभियोजन साक्ष्य से युक्तियुक्त रूप से सन्देह से परे साबित होता है ?

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दूसरा तर्क यह प्रस्तुत किया गया कि मृतक जसवंत सिंह का जो सुसाइड नोट अभियोजन द्वारा बताया गया है वह सुसाइड नोट युक्ति–युक्त रूप से संदेह से परे अभियोजन साक्ष्य से साबित नही किया जा सका है जिस कारण यह साबित नही होता है कि यह सुसाइड नोट मृतक जसवंत सिंह द्वारा ही अपने हस्तलेख में लिखा गया था । मृतक जसवंत सिंह की कथित एक डायरी में वर्णित कुछ लिखित सामग्री को इस कथित सुसाइड नोट से मिलान करने के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ भी भेजा गया जिसकी रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध है परंतु यह डायरी भी मृतक जसवंत सिंह की नही है क्योंकि वादी–मुकदमा राजकिशोर जो मृतक जसवंत सिंह का पिता है, ने ऐसी कोई डायरी विवेचना अधिकारी को नही दी । यह डायरी विवेचना अधिकारी को किसने दी और सुसाइड नोट की कब्जा–पुलिस बरामदगी किस साक्षी के सामने हुई, इस संबंध में अभियोजन कथानक स्पष्ट नही है और न ही इस कथित सुसाइड नोट की कब्जा–पुलिस बरामदगी फर्द के किसी गवाह को अभियोजन की ओर से न्यायालय में पेश किया गया है । अभियुक्तगण को इस मुकदमे में झूठा फसाने के लिए यह सुसाइड नोट तैयार किया गया और मृतक जसवंत सिंह की कथित डायरी को विवेचना अधिकारी द्वारा प्राप्त करना बताया गया परंतु अभियोजन साक्ष्य से इन कथनो की पुष्टि नही होती है ।

अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा इस तर्क का खंडन करते हुए यह कथन किया गया कि मृतक जसवंत सिंह ने ही यह सुसाइड नोट आत्महत्या करने से पहले अपने हस्तलेख में लिखा था और मृतक जसवंत सिंह की हस्तलिखित एक डायरी को इस सुसाइड नोट में लिखे कथनो के हस्तलेख की पुष्टि करने हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ भेजा गया जिसकी जांच आख्या पत्रावली पर उपलब्ध है तथा विधि विज्ञान प्रयोगशाला की एक अलग से आख्या भी उपलब्ध है जिससे यही साबित होता है कि यह सुसाइड नोट मृतक जसवंत सिंह के हस्तलेख में है । विवेचना अधिकारी द्वारा अपने ब्यान से यह सुसाइड नोट बरामद करना भी बताया है और विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ की आख्या को वस्तु प्रदर्श–9 से साबित भी किया है ।

न्यायालय द्वारा इस तर्क पर अभियोजन पक्ष एवं बचाव पक्ष के उपरोक्त तर्को को सुना गया था तथा इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखिय साक्ष्य का गहनता से विवेचन एवं विश्लेषण किया गया ।

पत्रावली पर कागज संख्या 17 क कथित सुसाइड नोट की असल प्रति उपलब्ध है जिस दो जगह पर लाल पेन से आयताकार बॉक्स में Q1 और Q2 लिखा है जैसा कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ की परीक्षण आख्या 16 क/1 में इस संबंध में यह लिखा गया है कि "Q1 व Q2 (अत्र चिन्हित) एक अदद पन्ने के मुख पर आवृत हिन्दी लेख/अंक लेख विवादित है । नमूना– प्रलेख : जसवन्त सिंह । परीक्षण परिणाम

मे यह लिखा है कि "उपरोक्त वर्णित सर्व प्रलेखो की परीक्षा इस प्रयोगशाला में विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणो / प्रकाश स्रोत के माध्यम से की गई, परिणाम निम्न है :– जिस व्यक्ति ने नमूना लेख (हिंदी लेख व अंक लेख) चिन्हित ए–1 से ए–14 को लिखा है उसी ने आवृत विवादित लेख चिन्हित Q–1 व Q–2 को भी लिखा है ।" इस परीक्षण आख्या के साथ एक अंग्रेजी भाषा में तैयार की गई FSL रिपोर्ट भी संलग्न है जिसे यह रिपोर्टकर्ता द्वारा न्यायालय मे उपस्थित होकर अपनी गवाही से साबित नही कराया गया है । इस FSL रिपोर्ट को लखनऊ से प्राप्त कर पत्रावली मे शामिल करने से संबंधित SCD 9 दिनांकित 07–04–2018 भी अभियोजन की ओर से पत्रावली पर उपलब्ध करायी गई है ।

इस तरह से इस विधि विज्ञान प्रयोगशाला की आख्या में यह उल्लिखित है कि जो डायरी और सुसाइड नोट विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ परीक्षण हेतु भेजा गया उस डायरी और इस सुसाइड नोट में जो हस्तलेख है वह एक ही व्यक्ति का है । अब यहां यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि यह सुसाइड नोट मृतक जसवंत सिंह द्वारा अपने हस्तलेख में तैयार किया गया अथवा नही ? इसके अलावा क्या इस कथित सुसाइड नोट की कब्जा पुलिस बरामदगी फर्द को अभियोजन द्वारा अपने साक्ष्य से संदेह से पर साबित किया गया अथवा नही ? पत्रावली पर कागज संख्या 11 क/1 सुसाइड नोट की फर्द कब्जा–पुलिस प्रपत्र उपलब्ध है । उपनिरीक्षक सुरजीत सिंह थाना बेला जिला औरैया द्वारा दिनांक 01–12–2016 को यह सुसाइड नोट के फर्द कब्जा–पुलिस हस्तलेख में तैयार करते हुए इसमे यह उल्लिखित किया गया है कि "...आज दिनांक 01–12–2016 को मृतक जसवंत सिंह पुत्र श्री राजकिशोर सिंह यादव निवासी कंज थाना बेवर जनपद मैनपुरी ने ग्राम भगवंतापुर के बहादुर पुत्र रुस्तम के खेत की मेड़ पर खड़े नीम का पेड़ से लटक कर फांसी लगा ली । रूबरू गवाहान मृतक की तलाशी ली गई – (1) जगदीश पुत्र रामलाल निवासी पुर्वा लश्करी व (2) सुरेंद्र पुत्र छोटेलाल निवासी महोदमीत, तलाशी मे अभियुक्त की पेन्ट की जेब से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ जो गवाहो के समक्ष कब्जा पुलिस मे लिया गया ।" इस सुसाइड नोट पर गवाहान जगदीश चंद्र व सुरेन्द्र सिंह के हस्ताक्षर भी उपनिरीक्षक सुरजीत सिंह द्वारा कराए गए है परंतु इन गवाहान सुरेंद्र सिंह व जगदीश चंद्र को इस फर्द कब्जा –पुलिस प्रपत्र को साबित करने के लिए न्यायालय में अभियोजन की ओर से पेश व परीक्षित नही कराया गया जिस कारण यह फर्द कब्जा–पुलिस सुसाइड नोट विधिवत् रूप से साबित नही हुआ है ।

जहां तक प्रश्न मृतक जसवंत सिंह द्वारा कथित रूप से अपने हस्तलेख में तैयार किए गए कथित सुसाइड नोट और उसकी कथित डायरी में उसके हस्तलेख में लिखे गए कथनो के मिलान का है तो इस संबंध में अभियोजन की ओर से पेश हुए साक्षीगण की गवाही का विवेचन एवं विश्लेषण किया जाना आवश्यक होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या वास्तव में मृतक जसवंत सिंह के हस्तलेख का यह कथित सुसाइड नोट व डायरी को ही पुलिस द्वारा परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला परीक्षण हेतु भेजा गया जिसमे उल्लिखित हस्तलिखित कथनो का मिलन इस कथित सुसाइड नोट मे हस्तलिखित कथनो से किया गया है ।

इसके लिए सबसे पहले वादी–मुकदमा राजकिशोर के ब्यान का विवेचन एवं विश्लेषण करना आवश्यक होगा । अभियोजन साक्षी pw1 राजकिशोर ने इस संबंध में अपनी मुख्य परीक्षा के ब्यान में

सुसाइड नोट के संबंध में कोई कथन नही किया । इस साक्षी से जब अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा प्रति–परीक्षा की गई और इस साक्षी द्वारा विवेचनाधिकारी को दिये गये इस ब्यान कि "...मैंने विवेचना अधिकारी को यह बताया था कि मेरे लड़के की जेब से सुसाइड नोट भी मिला था जो आपने अपने कब्जे में लिया था । सुसाइड नोट मेरे लड़के के हस्तलेख का था ।"... के विषय मे पूछने पर इस साक्षी ने यह कहा कि "...ऐसा कोई ब्यान मैंने विवेचना अधिकारी को नही दिया था, कैसे लिख दिया, मैं इसकी वजह नही बता सकता ।"

इस साक्षी से अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रति–परीक्षा की गई तो इस साक्षी ने इस संबंध में यह कहा कि "...मेरा पुत्र ननिहाल में रहकर पढ़ा लिखा था । इसलिए मैंने उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर को कभी नही देखा । इसलिए मैं नही बता सकता कि सुसाइड नोट किसके लेख में है ? पुलिस ने मुझसे कभी मेरे पुत्र की डायरी की मांग नही की थी ।" उल्लेखनीय है कि इस कथित सुसाइड नोट में मृतक जसवंत सिंह का कोई हस्ताक्षर भी नही है और न ही अंगूठा–निशान है । वादी–मुकदमा pw1 राजकिशोर मृतक जसवंत सिंह का पिता है । इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा के ब्यान में सुसाइड नोट के विषय में और उक्त डायरी को पुलिस को दिए जाने के संबंध में कोई कथन नही किया और जब इस साक्षी से अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रति–परीक्षा की गई तो भी इस साक्षी ने ऐसी कोई डायरी पुलिस को दिए जाने से साफ तौर से इनकार किया और मृतक जसवंत सिंह के हस्तलेख व हस्ताक्षर को देखने से भी इस कारण इनकार किया कि जसवंत सिंह अपनी ननिहाल में ही रहकर पढ़ा लिखा था जिस कारण यह साक्षी जसवंत सिंह के हस्तलेख और हस्ताक्षर को नही देख पाया था ।

इसके अलावा तथ्य के दूसरा साक्षी pw2 रामप्रकाश गांव भगवंतापुर का चौकीदार है जिसे इस सुसाइड नोट व डायरी के विषय में कोई जानकारी नही है जिस कारण इस साक्षी ने इस संबंध में कोई ब्यान नही दिया । तथ्य का तीसरा साक्षी pw4 रामकृपाल मृतक जसवन्त सिंह के शव के पंचायतनामा का गवाह है । इस साक्षी ने भी इस कथित सुसाइड नोट व डायरी के विषय में कोई ब्यान नही दिया । साक्षी pw6 उपनिरीक्षक ओमप्रकाश बघेल एक पुलिस औपचारिक साक्षी है । इस साक्षी ने इस अभियोग की विवेचना की थी । इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा के ब्यान मे उक्त सुसाइड नोट व डायरी को विधि विज्ञान प्रयोगशाला लखनऊ जांच हेतु भेजा जाना बताया और इस बावत लिखी गयी SCD 9 के विषय मे भी बताया । इस साक्षी से जब अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रति–परीक्षा की गयी तो इस साक्षी ने इस सम्बन्ध मे यह कहा कि "मैंने मृतक के सुसाइड नोट व उसकी डायरी को नही देखा है । मैंने पूर्व विवेचको द्वारा जिन गवाहो के ब्यान अंकित किये गये थे उन गवाहो से मैं मौके पर जाकर दोबारा नही मिला था न मैं घटनास्थल पर दोबारा गया था ।" इस तरह से इस औपचारिक पुलिस साक्षी ने साफ तौर से यह स्वीकार किया है कि इस साक्षी ने दौरान विवेचना मृतक जसवन्त सिंह का कथित सुसाइड नोट व डायरी नही देखी और न ही उन गवाहो के ब्यान दोबारा लिये जिनके ब्यान पूर्व विवेचक द्वारा लिये जा चुके थे । अभियोजन की ओर से इस विवेचनाधिकारी से पूर्व के विवेचनाधिकारी रहे किसी पुलिस अधिकारी को यह तथ्य साबित करने के लिये न्यायालय मे पेश नही किया गया कि उक्त विवेचनाधिकारी द्वारा मृतक की कथित डायरी किससे व कहाँ से प्राप्त की जबकि मृतक के पिता वादी–मुकदमा राजकिशोर ने अपने ब्यान मे साफ तौर से

यह कहा कि उसके द्वारा मृतक की कोई डायरी किसी पुलिस अधिकारी को नही दी थी । तब ऐसी दशा मे अभियोजन के लिये पूर्व विवेचनाधिकारी रहे सम्बन्धित पुलिस अधिकारी को न्यायालय मे पेश किया जाना चाहिये था जो कि नही किया गया ।

इसी सन्दर्भ मे सम्बन्धित प्रावधानो एवं कुछ विधि–व्यवस्थाओ का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा जो कि निम्न है :–

आत्महत्या के दुष्प्रेरण के संबंध में भारतीय दण्ड संहिता की की धारा 306 में निम्नलिखित प्रावधान है :– "Abetment of suicide :– If any person commits suicide, whoever abets the commission of such suicide, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

धारा 306 भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो उसका दुष्प्रेरण करने वाला व्यक्ति दण्डित किया जायेगा । शब्द "दुष्प्रेरण" को परिभाषित करते हुये धारा 107 भारतीय दण्ड संहिता निम्नलिखित प्रावधान करती है–

"Abetment of a thing– A person abets the doing ofa thing, who–

First–Instigates any person to do that thing ; or

Secondly– Engages with one or more other person or persons in any conspiracy for the doing of that thing, if an act or illegal omission takes place in pursuance of that conspiracy, and in order to the doing of that thing ; or

Thirdly– Intentionally aids, by any act or illegal omission, the doing of that thing.

Explanation 1. A person who, by wilful misrepresentation, or by wilful concealment of a material fact which he is bound to disclose. voluntarily causes or procures, or attempts to cause or procure, a thing to be done, is said to instigate the doing of that thing.

Explanation 2– Whoever, either prior to or at the time of the commission of an act, does anything in order to facilitate the commission of that act, and thereby facilitates the commission thereof, is said to aid the doing of that act.

धारा 107 भारतीय दण्ड संहिता के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि दुष्प्रेरण तीन प्रकार से हो सकता है । प्रथम उत्प्रेरण के द्वारा, द्वितीय षड़यन्त्र के द्वारा तथा तृतीय सहायता के द्वारा । साथ ही स्पष्टीकरण यह स्पष्ट करते है कि यदि कोई व्यक्ति किसी तथ्य अथवा सामग्री को जिसे वह बताने के लिये बाध्य है, छिपाते है अथवा गलत रूप में प्रस्तुत करता है अथवा ऐसा करवाने का प्रयास करता है तो यह भी उकसाना माना जायेगा ।

उत्प्रेरण के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **Ramesh Kumar Vs. State of Chhattisgarh, (2001) 9 SCC 618** में माननीय न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि "Instigation is to good, urge forward, provoke, incite or encourage to do "an act". To satisfy the requirement of instigation though it is not necessary that actual words must

be used to that effect or what constitutes instigation must necessarily and specifically be suggestive of the consequence. Yet a reasonable certainty to incite the consequence must be capable of being spelt out."

उत्प्रेरण अथवा परिस्थितियों की प्रतिक्रिया भिन्न–भिन्न व्यक्ति के अनुरूप मिन्न भिन्न होती है । इस सबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **Ude Vs. State of Haryana, (2019) 17 SCC 301** में माननीय न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि :– "We may also observe that human mind could be affected and could react in myriad ways and Impact of one's action on the mind of another carries several imponderables. Similar actions are dealt with differently by different persons; and so far a particular person's reaction to any other human's action is concerned, there is no specific theorem or yardstick to estimate or assess the same. Even in regard to the factors related with the question of harassment of a girl, many factors are to be considered like age, personality, upbringing, rural or urban set–ups, education, etc. Even the response to the ill action of eve teasing and its impact on a young girl could also vary for a variety of factors, including those of background, self–confidence and upbringing. Hence, each case is required to be dealt with on its own facts and circumstances"

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **S.S. Cheena Vs. Vijay Kumar Mahajan & others, (2010) 12 SCC 190** में यह अवधारित किया गया है कि :–

"For a conviction under Section 306 of the IPC, it is a well–established legal principle that the presence of clear mens rea–the intention to abet the act is essential. Mere harassment, by itself, is not sufficient to find an accused guilty of abetting suicide. The prosecution must demonstrate an active or direct action by the accused that led the deceased to take his/her own life. The element of mens rea cannot simply be presumed or inferred; it must be evident and explicitly discernible. Without this, the foundational requirement for establishing abetment under the law is not satisfied, underscoring the necessity of a deliberate and conspicuous intent to provoke or contribute to the act of suicide."

इसी मत को विधि व्यवस्था **Jagdish Singh Praveen Singh Chavara & others Vs. State of Gujrat, 2024 SCC online SC 3679** में भी व्यक्त किया गया है ।

प्रस्तुत मामले मे आत्महत्या के दुष्प्रेरण हेतु प्रस्तुत किये गये साक्ष्यो से कहीं भी यह साबित नही है कि अभियुक्तगण द्वारा आपराधिक मंशा के साथ ऐसा कोई सक्रिय कृत्य किया गया हो जिससे कि मृतक जसवन्त सिंह आत्महत्या करने के लिये दुष्प्रेरित हुआ हो अथवा उसके लिये आत्महत्या कर लेनी की परिस्थितियां उत्पन्न हुई हो और उसके पास सिवाय आत्महत्या करने के लिये और कोई विकल्प न बचा हो

। **Ude Vs State of Haryana, (2019)17 SCC 301** में माननीय न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि :– "In cases of alleged abetment of suicide, there must be a proof of direct or indirect act(s) of incitement to the commission of suicide. It could hardly be disputed that the question of cause of a suicide, particularly in the context of an offence of abetment of suicide, remains a vexed one, involving multifaceted and complex attributes of human behaviour and responses/reactions. In the case of accusation for aberment of suicide, the court would be looking for cogent and convincing proof of of the act(s) of incitement to the commission of suicide. In the case of suicide, mere allegation of harassment of the deceased by another person would not suffice unless there be such action on the part of the accused which compels the person to commit suicide, and such on offending action ought to be proximate to the time of occurrence. Whether a person has abetted in the commission of suicide by another or not, could be gathered from the facts and circumstances of each case.

स्पष्ट है कि आत्महत्या के उत्प्रेरण हेतु किसी व्यक्ति को उकसाने के संबंध में यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि अभियुक्त द्वारा ऐसा कौन–सा कृत्य किया गया जिसकी प्रतिकिया में आत्महत्या की गयी। साथ ही साथ यह भी आवश्यक है कि ऐसे कृत्य तथा आत्महत्या की घटना में सामीप्यता (Proximity) तथा ताल्लुक (Nexus) हो जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Prakesh & others Vs. State of Maharashtra, 2024 I.N.S.C. 1020** में यह अवधारित किया गया है कि :– "Thus, this Court has consistently taken the view that instigation or incitement on the part of the accused person is the gravamen of the offence of aberment to suicide. However, it has been clarified on many occasions that in order to link the act of instigation to the act of suicide, the two occurrences must be in close proximity to each other so as to form a nexus of a chain, with the act of suicide by the deceased being a direct result of the act of instigation by the accusesd person."

इसी प्रकार प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **Rajesh Kumar Vs. State of Haryana (2010) 15 SCC 359** में यह अवधारित किया गया है कि :– "Conviction under Section 306 IPC is not sustainable on the allegation of harassment without there being any positive action proximate to the time of occurrence on the part of the accused, which led or compelled the person to commit suicide. In order to bring a case within the purview of Section 306 IPC, there must be a case of suicide and in the commission of the said offence, the person who is said to have abetted the commission of suicide, must have played an active role by an act of instigation or by doing certain act to facilitate the commission of suicide. Therefore, the act of abetment by the person charged with the said offence,

must be proved and established by the prosecution before he could be convicted under Section 306 IPC."

प्रस्तुत मामले मे अभियोजन साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्तगण की मृतक जसवन्त सिंह के प्रति उत्प्रेरण अथवा षड़यन्त्र अथवा सहायता का ऐसा कोई पुष्ट तथ्य अथवा साक्ष्य अभिलेख पर नही है जिसकी आत्महत्या से सामीप्यता अथवा सीधा सम्बन्ध स्थापित होता हो ।

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि अभियोजन आत्महत्या के दुष्प्रेरण के सभी तत्व दुष्प्रेरण, आपराधिक मंशा, उत्प्रेरण एवं घटना में सामीप्यता आदि के तथ्य को साबित करने में असफल रहा है ।

इस तरह से उपरोक्त साक्ष्य–परिचर्चा, विवेचन एवं विश्लेषण से यह साबित नही होता है कि मृतक जसवंत सिंह की कथित डायरी उसके पिता वादी–मुकदमा राजकिशोर द्वारा विवेचना अधिकारी अथवा अन्य किसी पुलिस अधिकारी को दी गई और न ही यह साबित होता है कि यह कथित सुसाइड नोट मृतक जसवंत सिंह के हस्तलेख का ही हो । इस तरह से अभियोजन साक्ष्य से मृतक जसवंत सिंह का यह कथित सुसाइड नोट युक्ति– युक्त संदेह से परे साबित नही होता है ।

अतः अभियुक्तगण का यह तर्क न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाता है ।

[3.] क्या घटनास्थल से नायलॉन की रस्सी की नियमानुसार व विधिवत् बरामदगी साबित होती है ?

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा तीसरा तर्क यह प्रस्तुत किया गया कि उपनिरीक्षक सुरजीत सिंह द्वारा घटनास्थल से एक नायलॉन की रस्सी बरामद होना दिखाया गया है जिसकी फर्द बरामदगी प्रपत्र तैयार किया गया है और यह नायलॉन की रस्सी गवाहान जगदीश चंद्र और सुरेंद्र सिंह के समक्ष बरामद होना दर्शाया गया है परंतु इन दोनो साक्षीगण को न्यायालय में इस प्रपत्र को साबित करने हेतु पेश नही किया गया बल्कि इन दोनो साक्षीगण में से किसी एक साक्षी को भी पेश नही किया गया है जिस कारण यह फर्द बरामदगी– रस्सी विधिवत् रूप से साबित नही होती है । पेश हुए पुलिस साक्षी ने भी इस सम्बन्ध मे कोई ब्यान नही दिया जिस कारण इस प्रपत्र पर कोई प्रदर्श भी नही पड़ा है ।

अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अभियुक्तगण के इस तर्क का खंडन करते हुए यह कहा गया कि दिनांक 01–12–2016 को जब चौकीदार द्वारा थाना पुलिस को नीम के पेड़ पर लटकी हुई लाश के संबंध में सूचना दी तो थाना पुलिस मौके पर पहुंची जहां पर यह देखा कि नीम के पेड़ से लटक कर मृतक जसवंत सिंह ने आत्महत्या कर ली है तब मौके से थाना पुलिस द्वारा पांच टुकड़े रस्सी नायलॉन के बरामद किये जिनकी फर्द बरामदगी उपनिरीक्षक सुरजीत सिंह द्वारा मौके पर तैयार की गई और साक्षी जगदीश चंद्र और सुरेंद्र सिंह के हस्ताक्षर भी इस फर्द बरामदगी पर कराए गए परंतु भलाई–बुराई के कारण ये साक्षी गवाही देने के लिए न्यायालय उपस्थित नही आए ।

न्यायालय द्वारा दोनो पक्षो को इस तर्क पर विस्तार पूर्वक सुना गया तथा इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का गहनता से विवेचन एवं विश्लेषण किया गया ।

पत्रावली पर कागज संख्या 11क/2 फर्द कब्जा पुलिस रस्सी का प्रपत्र उपलब्ध है जिसमे उप निरीक्षक सुरजीत सिंह थाना बेला जिला औरैया द्वारा यह कथन उल्लिखित किया गया है कि "...आज दिनांक 01–12–2016 को मृतक जसवंत सिंह पुत्र श्री राजकिशोर सिंह यादव निवासी कंज थाना बेवर जनपद

मैनपुरी ने ग्राम भगवंतापुर के बहादुर पुत्र रुस्तम के खेत की मेड़ पर नीम के पेड़ से लटक कर फांसी लगा ली । मौके से पांच टुकड़े रस्सी नायलॉन – (1) चार हाथ छः अंगुल (2) पौने दो हाथ लगभग (3) दूसरा टुकड़ा पौने दो हाथ लगभग (4) दो हाथ चार अंगुल (5) लगभग एक हाथ । उपरोक्त पांचो टुकड़ो को रूबरू गवाहन जगदीश, सुरेंद्र सिंह पुत्र छोटे लाल निवासी महोदमीत के समक्ष एक कपड़े में रखकर सर्व – मोहर किया गया । नमूना–मोहर तैयार किया गया...।" इस तरह से इस फर्द बरामदगी रस्सी के प्रपत्र में गवाहान जगदीश चंद्र व सुरेंद्र सिंह का नाम लिखा है जिनके हस्ताक्षर भी कराए गए है परंतु इन दोनो गवाहो में से एक गवाह को भी अभियोजन की ओर से न्यायालय में पेश नही किया गया और न ही इन गवाहो का नाम आरोप–पत्र में सूची–गवाहान मे शामिल किया गया । यह फर्द कब्जा पुलिस रस्सी प्रपत्र को उप – निरीक्षक सुरजीत सिंह अथवा अन्य किसी पुलिस साक्षी ने भी अपनी गवाही से साबित नही किया है जिस कारण इस प्रपत्र पर कोई प्रदर्श भी नही पड़ा है । अभियोजन साक्षी विवेचना pw6 ओमप्रकाश बघेल ने अपनी मुख्य परीक्षा के ब्यान मे इस नायलॉन की रस्सी के विषय मे कोई कथन नही किया और न ही अभियुक्तगण की ओर से प्रति–परीक्षा मे इस सम्बन्ध मे इस साक्षी से कुछ पूछा गया । इस तरह से यह फर्द कब्जा पुलिस रस्सी, विधिवत् रूप से साबित नही होती है ।

अभियुक्तगण का यह तीसरा तर्क भी न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाता है ।

निष्कर्ष

उपरोक्त समस्त विचारणीय बिन्दुओ के विवेचन व विश्लेषण से इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अभियोजन की ओर से पेश हुए तथ्य के साक्षीगण वादी मुकदमा राजकिशोर, चौकीदार रामप्रकाश व पंचायतनामा के गवाह रामकृपाल के साक्ष्य से मृतक जसवन्त सिंह को आत्महत्या करने के लिये अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा विवश किये जाने का कथन सन्देह से परे साबित नही होता है । मौके से कथित रूप से बरामद मृतक जसवन्त सिंह का कथित सुसाइड नोट व नाइलॉन की रस्सी की बरामदगी भी अभियोजन साक्ष्य से युक्तियुक्त रूप से सन्देह से परे साबित नही होती है । इसके अलावा अभियुक्ता श्रीमति सुनीता उर्फ मिली के विरुद्ध न्यायालय प्रेषित आरोप–पत्र, घटनास्थल का नक्शा–नजरी, चिट्ठी R.I., चिट्ठी C.M.O., फोटोनाश, इत्यादि प्रपत्र भी साबित नही हुए है जिस कारण अभियोजन अपना केस सन्देह से परे साबित करने मे असफल रहा है और इसी कारण अभियुक्तगण (1.) सतेन्द्र कुमार (2.) नागेंद्र प्रताप सिंह उर्फ योगेंद्र व (3.) श्रीमति सुनीता उर्फ मिली को सन्देह का लाभ दिया जाता है फलस्वरूप अभियुक्तगण (1.) सतेन्द्र कुमार (2.) नागेंद्र प्रताप सिंह उर्फ योगेंद्र व (3.) श्रीमति सुनीता उर्फ मिली लगाये गये आरोप अन्तर्गत धारा 306 भारतीय दण्ड संहिता, से दोषमुक्त किये जाने योग्य है ।

आदेश

अभियुक्तगण (1.) सतेन्द्र कुमार (2.) नागेंद्र प्रताप सिंह उर्फ योगेंद्र व (3.) श्रीमति सुनीता उर्फ मिली को धारा 306 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है ।

अभियुक्तगण (1.) सतेन्द्र कुमार (2.) नागेंद्र प्रताप सिंह उर्फ योगेंद्र व (3.) श्रीमति सुनीता उर्फ

मिली दौरान विचारण जमानत पर रिहे थे । इन तीनो अभियुक्तगण की ओर से दौरान विचारण दाखिल जमानतनामे निरस्त किये जाते है और जमानतदारो को उनके जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है ।

इन तीनो अभियुक्तगण की ओर से धारा 437–ए दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दाखिल जमानते दौरान अपील 6 माह की अवधि के लिए प्रभावी रहेगी ।

दिनाँक : 01–04–2026 (महेश कुमार)
स्थान : औरैया । {अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0 2, औरैया ।}

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित व दिनाँकित कर सुनाया गया ।

दिनाँक : 01–04–2026 (महेश कुमार)
स्थान : औरैया । {अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0 2, औरैया ।}